दिनांक : .१२.२०१९

प्रति,

मा. केंद्रीय गृहमंत्री,

भारत सरकार, नई देहली

विषय : आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से जेरुसलेम एवं हज की यात्रा के लिए जानेवाले श्रद्धालुओं को दिए जानेवाले अनुदान में वृद्धि करने के निर्णय को रद्द करने के संदर्भ में ....

महोदय,

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में हज और जेरूसलेम यात्रा के लिए जानेवाले श्रद्धालुओं को दिए जानेवाले अनुदान में वृद्धि की गई है । उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जिनकी वार्षिक आय ३ लाख रुपए से अल्प है, ऐसे मुसलमानों को हज यात्रा के लिए, तो ऐसे ईसाईयों को जेरुसलेम की यात्रा के लिए इससे पहले ४० सहस्र रुपए अनुदान मिलता था । अब इस अनुदान को ६० सहस्र रुपए किया गया है । तो जिनकी वार्षिक आय ३ लाख रुपयों से अधिक है, उन्हें पहले २० सहस्र रुपए अनुदान मिलता था । अब उन्हें ३० सहस्र रुपए अनुदान दिया जाएगा । उसके लिए राज्य सरकार ने अर्थसंकल्प में १४ करोड २२ लाख रुपए का प्रावधान किया है । राज्य सरकार का यह निर्णय बहुसंख्यक हिन्दू करदाताओं के पैसों से अल्पसंख्यकों की धार्मिक यात्राएं कराई जा रही हैं । यह निर्णय अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करनेवाला और बहुसंख्यक हिन्दू समाज के साथ घोर अन्याय करनेवाला है ।

*** अत: हम इस संदर्भ में हम निम्नांकित सूत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ...**

१. लोकतांत्रिक पद्धति से चलनेवाले हमारे देश ने 'धर्मनिरपेक्ष' व्यवस्था को अपनाया है । इसका अर्थ यही है कि इस देश की व्यवस्था किसी भी धार्मिक विचारधारापर आधारित नहीं है । ऐसा होते हुए भी हमारे देश में अनेक निर्णय एक विशिष्ट धर्म के लोगों को सुविधाजनक हों; इस दृष्टि से लिए जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यजनक हैं ।

२. 'धर्मनिरपेक्ष' कहे जानेवाले इस शासनतंत्र में सभी धर्मों के साथ समानता से न्याय किया जाना अपेक्षित होते हुए भी वैसा होता हुआ कहींपर भी दिखाई नहीं देता । मुसलमानों की हज यात्रा के लिए प्रशासनिक स्तर से नियोजन, चिकित्सकीय सुविधाएं और मार्गदर्शन किया जाता है । उन्हें यात्रा के लिए छूट दी जाती है, तो हिन्दुओं की यात्राओं के लिए सरकार कोई सुविधाएं नहीं देती । इसके विपरीत विविध कारण देकर उनसे 'कर' वसूलती है । कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए जानेवाले हिन्दुओं को २५ सहस्र रुपए कर देना पडता है ।

३. शासन इसके लिए जो भी धन खर्चती है, वह नागरिकों द्वारा करों के रूप में एकत्रित होता है । यदि ऐसा है, तो हिन्दू करदाताओं द्वारा सरकार को दिए जानेवाले कर से केवल मुसलमान और ईसाईयों को ही छूट क्यों ? यह तो एक प्रकार से हिन्दुओं के साथ हो रहा अन्याय ही है ।

४. आंध्र प्रदेश सडक परिवहन महामंडल (आंध्र प्रदेश रोड ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन) ने तिरुमला जाने के लिए दिए जानेवाले बस के टिकट के पीछे हज और का विज्ञापन छापा था । इस प्रकरण में स्थानीय हिन्दुत्वनिष्ठों द्वारा विरोध किए जाने के पश्चात ये टिकट वापस लिए गए, साथ ही इस प्रकार से विज्ञापन छापे हुए टिकटों का वितरण कैसे हुआ ?, सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं । इसमें महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तिरुमला क्षेत्र में अन्य पंथियों को अपने पंथ का प्रचार करने की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है । ऐसा होते हुए भी बस के टिकटपर अन्य पंथियों के प्रार्थनास्थलों का विज्ञापन छापना अपराध करने जैसा ही है ।

५. आंध्र प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के सचिव ने २७ अगस्त को निकाले गए एक आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के वाई.एस्.आर्. कांग्रेस दल के चुनाव घोषणापत्र में राज्य में स्थित चर्चों के

पादरियों को प्रतिमास ५ सहस्र रुपए गौरवधन देने का आश्वासन दिया गया है । इस प्राकार से राज्य सरकार पादरियों को गौरवधन देकर संविधान और उसमें अंतर्भूत समानता का सूत्र इन दोनों का अनादर कर रही है ।

६. आंध्र प्रदेश के ईसाई मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने २५ लाख लोगों को घर बनाकर देने की घोषणा की थी । इस योजना के लिए उन्होंने प्रशासन को मंदिरों की भूमि को कुछ वर्षों के लिए किराएपर (लीज) मांगी थी । उसके लिए उन्होंने नोटिस जारी कर प्रत्येक जनपद में स्थित मंदिरों की भूमि की जानकारी देने के लिए कहा था । मुख्य सचिव के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को यह नोटिस भेजा गया है । वास्तव में २००६ में हैदराबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों की भूमि का उपयोग करना सर्वथा अयोग्य है, ऐसा आदेश दिया था । ऐसा होते हुए भी नियमों को साखपर बिठाकर मंदिरों की भूमि को नियंत्रण में लेना अयोग्य है ।

७. सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष २०१२ में दिए गए निर्णय में केंद्र सरकार को हज यात्रा के लिए दिए जानेवाले अनुदान को १० वर्षों में बंद करने का आदेश दिया था । इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को साखपर बिठाकर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए लिया गया निर्णय है और उसे न्यायालय की अवमानना ही कहना पडेगा ।

समाज के सभी घटकों को सुविधाएं समानरूप से मिलनी चाहिएं । धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, भाषा आदि के आधारपर सुविधा देना, भेदभाव करने जैसा ही होगा । लोकतांत्रिक मार्ग से चलनेवाले हमारे देश ने धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को अपनाया है । इन शब्दों से ही हमारी व्यवस्था किसी भी धार्मिक विचारधारापर आधारित नहीं है । ऐसा होते हुए भी आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में अनेक निर्णय किसी विशिष्ट धर्म के लोगों को सुविधाजनक हो; इस दृष्टि से लिए जाते हैं, जो दुर्भाग्यजनक और अत्यंत अनुचित है ।

८. ऐसे निर्णय के कारण देश के संवैधानिक ढांचे को बाधा तो पहुंचती है, साथ ही हिन्दुओं के मन में राज्यकर्ता केवल अन्य धर्मियों की धर्मभावना को संजोते हैं; परंतु हिन्दुओं के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं, इस प्रकार का नकारात्मक संदेश जाता है और वह देश की एकता के लिए संकटकारी है ।

अतः आंध्र प्रदेश सरकार जेरुसलेम और हज यात्राओं के लिए जानेवाले अल्प आयुधारकों को अनुदान देने का निर्णय रद्द किया जाए ।

आपका विश्वासी,

संपर्क :

प्रत : माननीय राज्यपाल, आंध्रप्रदेश